न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

,पीठासीन अधिकारी–
परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28/2017/प्रा.पत्र/2017	24.03.2017	01.08.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश टेमाणी पुत्र श्री रामगोपाल एफ.बी.ओ. मैसर्स टेमाणी मेडिकल स्टोर मस्जिद के सामने गांधी पार्क मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 21 कायस्थ मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स टेमाणी मेडिकल स्टोर मस्जिद के पास सामने गांधी पार्क मालपुरा जिला टोंक
3–श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र श्री मवासी राम गुप्ता प्रोपराईटर शुभलक्ष्मी मेडिकल एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज.
4–मैसर्स शुभलक्ष्मी मेडिकल एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
5–श्री भारद्वाज मुनी त्रिपाठी प्रोपरायटर मैसर्स विंच बायोटेक 32 बी विनायक विहार सीकर रोड टोडी जयपुर, निवासी वार्ड नं. 8 हरि कीर्तन मोहल्ला बाटनी देवरिया उ.प्र.
6– मैसर्स विंच बायोटेक 32 बी विनायक विहार सीकर रोड टोडी जयपुर,
7–श्री अतुल कुमार राजपुत पुत्र श्री रामकिशोर एफ.बी.ओ./प्रोपरायटर/प्रबन्धक मैसर्स आई फार्मास्यूटिकल्स केएच नं. 146 मंडावर भगवानपुरा रूडकी हरिद्वार उत्तराखण्ड निवासी एच नं. 18 ग्राम चौली सहाबुदीनुपुर तह. रूडकी जिला हरिद्वार उतराखण्ड
7–मैसर्स आई फार्मास्यूटिकल्स केएच नं. 146 मंडावर भगवानपुरा रूडकी हरिद्वार उत्तराखण्ड
..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: **दिनांक 01.08.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.09.2016 को समय 04:12 पीएम पर मैसर्स टेमाणी मेडिकल स्टोर मस्जिद के पास सामने गांधी पार्क मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री ओमप्रकाश टेमाणी पुत्र श्री रामगोपाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ओमप्रकाश टेमाणी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं ने मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **सिन्थेटिक सिरप विन्जाईम मूल पैक (Syrup Winzyme Origional Pack)** जिसके बैच नं. ई.पी. 052 व पैंकिंग की दिनांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

06/2016 थी, 200–200 मिलीग्राम के 8 नग रखे हुये थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री ओमप्रकाश टेमाणी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री ओमप्रकाश टेमाणी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सिन्थेटिक सिरप विन्जाईम मूल पैक (Syrup Winzyme Origional Pack)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 200–200 मिलीग्राम के चार मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 200–200 मिलीग्राम के चार मूल पैक कुल मात्रा 800 मिलीग्राम चार पैकेट **सिन्थेटिक सिरप विन्जाईम मूल पैक (Syrup Winzyme Origional Pack)** को 200–200 मिलीग्राम के नगों को एक–एक पेकेटों को बराबर–बराबर (एक भाग 200 मिलीग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयरटाईट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1442 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1442 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री ओमप्रकाश टेमाणी पुत्र श्री रामगोपाल एफ.बी.ओ. मैसर्स टेमाणी मेडिकल स्टोर मस्जिद के पास सामने गांधी पार्क मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स शुभलक्ष्मी मेडिकल एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त सिरप क्रय करना बताया जिसे आवेदक द्वारा फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने आवश्यक दस्तावेज व मैसर्स विंच बायोटेक 32 बी विनायक विहार सीकर रोड टोडी जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत किया।

वारंटी होने के कारण प्रबंधक मैसर्स विंच बायोटेक 32 बी विनायक विहार सीकर रोड टोडी जयपुर को आवश्यक दस्तावेज बाबत् पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने फर्म से संबंधित दस्तावेज व मैसर्स आई फार्मास्यूटिकल्स केएच नं. 146 मंडावर भगवानपुरा रूडकी हरिद्वार उत्तराखण्ड का खरीद बिल प्रेषित किया जिसे आवेदक द्वारा पत्र प्रेषित किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित खाद्य अनुज्ञा रजि., वैट रजि. व प्रोपरायटर श्री अतुल कुमार के पहचान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/5152 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./2797/एक्ट /2016/474 दिनांक 18.10.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सिन्थेटिक सिरप विन्जाईम मूल पैक (Syrup Winzyme Origional Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उपधार 2 (ii) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। अप्रार्थी सं. 7 व 8 की ओर से श्री रतिराम पहाडिया एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डर टेकिंग दिया एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किया और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 ने आज जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया हैं कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही पूर्णतया गलत व आधारहीन हैं। अप्रार्थी द्वारा वस्तु पैक्ड अवस्था में अप्रार्थी सं. 3 व 4 से क्रय कर विक्रय की जा रही थी तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने भी अप्रार्थी सं. 5 व 6 से क्रय की थी जिसके बिल भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे जो उसके द्वारा क्रय की गई थी धारा 80 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपक्षी उत्तरदाता प्रतिपक्षी सं. 5 व 6 की त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं है और प्रतिपक्षी उत्तरदाता उन्मोचित किए जाने योग्य हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ को मिलावट की जांच के लिए क्रय किया गया था और यही उत्तरदाता को बताया था। उत्तरदाता से लिये गये नमूने में कोई मिलावट नहीं पायी गई हैं। खाद्य विश्लेषक को केवल उन्हीं तथ्यों की जांच करनी थी जिसके लिए उत्तरदाता से वस्तु का नमूना खरीदा गया था। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप किए जाने योग्य हैं। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा व अन्य गवाहान को तलब किए जाकर उनसे जिरह की अनुमति प्रदान की जावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण के जवाब में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी केवल मात्र प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के लिए गवाहान को तलब करना चाहते हैं जो अनुचित एवं निराधार हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के नियम 3.1 न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के नियम 9 में स्पष्ट अंकित हैं कि प्रकरण में सुनवाई की पहली तारीख से 90 दिन के भीतर न्यायनिर्णयन अधिकारी अंतिम आदेश पारित करेगा। अतः अप्रार्थीगण जिस **सिन्थेटिक सिरप विन्जाईम मूल पैक (Syrup Winzyme Origional Pack)**का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सिन्थेटिक सिरप विन्जाईम मूल पैक (Syrup Winzyme Origional Pack)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 90,000/– (अक्षरे नब्बे हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 01.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0